


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब	प्रतिवादी
कामल पुत्र काशु का लारी मुलका - पोचवा	ना म	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी
राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत		
वाद-पत्र नम्बर 336 /2021	GCMS No. 2021/1143	
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अदालतको इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
13/11/2021	<p>वादी श्री कामल पुत्र काशु का जाति लारी मुलका निवासी पोचवा द्वारा आज "प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत पोचवा में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत. 2073-2078 ग्राम पोचवा पटवार मण्डल पोचवा के खाता नम्बर 144 मे वादी की राजस्व रेकर्ड में प्रविष्टि कामल पुत्र काशु का लारी दर्ज है, जो अशुद्ध है। वादी का शुद्ध नाम कामल पुत्र काशु का लारी मुलका है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. आधार नम्बर 3054 2765 2381 मतदाता पहचान पत्र अन्य दस्तावेज अपरप-यन की छाया प्रति प्रस्तुत की है। इस संबंध में हल्का पटवारी पोचवा भू.अ.नि पोचवा एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की है। अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल हो।</p>	
		<p>उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)</p>

1365-1369